



बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

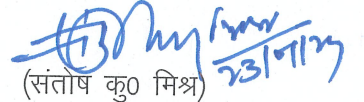
विद्युत अधीक्षण अभियंता

संचरण अंचल भागलपुर, पो0-सबौर, पिनकोड-813210

[email:-tc.bhagalpur@bsptcl.bihar.gov.in](mailto:tc.bhagalpur@bsptcl.bihar.gov.in)

आम सूचना

संचरण अंचल, भागलपुर (सबौर) में आम वृक्षों के फलों के निलामी हेतु दिनांक:-20.02.2024 के अपराह्न 03:30 बजे तक लिफाफा बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डाक संबंधी पूर्ण विवरण संचरण अंचल, भागलपुर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।


(संतोष कृ० मिश्र)

विद्युत अधीक्षण अभियंता



बिहार स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

विद्युत अधीक्षण अभियंता

संचरण अंचल भागलपुर, पो0-सबौर, पिनकोड-813210

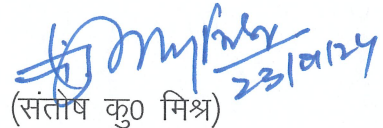
email:-tc.bhagalpur@bsptcl.bihar.gov.in

निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, संचरण अंचल, भागलपुर (सबौर) के आवासीय परिसर (कॉलोनी) में कुल 80 (अस्सी) आम वृक्षों के फलों की निलामी वर्ष 2024 के लिये अन्य सभी सेवा शर्तों के आधार पर दिनांक -20.02.2024 के अपराह्न 03:30 बजे विहित प्रपत्र में लिफाफा बन्द निविदा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

उक्त फलों की निलामी के पूर्व अन्य सभी शर्तें संबंधी विहित प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

- ❖ निविदा पत्र का मूल्य रु0 590/-मात्र GST सहित।
- ❖ विहित प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 19.02.2024 को (अपराह्न 02:30 बजे तक)।
- ❖ निविदा जमा करने की तिथि:- 20.02.2024 अपराह्न 03:30 बजे तक।
- ❖ निविदा खुलने की तिथि- 20.02.2024 को अपराह्न 03:30 बजे से निर्धारित है।


(संतोष कु0 मिश्र)

विद्युत अधीक्षण अभियंता



बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

विद्युत अधीक्षण अभियंता

संचरण अंचल भागलपुर, पो0-सबौर, पिनकोड-813210

email:-tc.bhagalpur@bsptcl.bihar.gov.in

निलामी प्रक्रिया की शर्तें

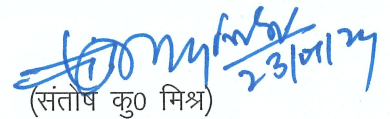
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, संचरण अंचल, भागलपुर प्रांगण के सबौर स्थित आवासीय कॉलोनी के बगीचा एवं आवासीय परिक्षेत्र में, आम के 80 (अस्सी) वृक्ष के फलो को निलामी वर्ष 2024 के लिए दिनांक:- 20.02.2024 को अपराह्न 03:30 बजे तक लिफाफा बन्द निविदा डाक हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- 1 निलामी के पूर्व किसी भी कार्य दिवस को सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, सबौर से सम्पर्क कर निलामी योग्य वृक्षों का अवलोकन किया जा सकता है।
- 2 अग्रधन राशि जमा करने की अंतिम तारीख दिनांक:-20.02.2024 को(अपराह्न 02:30 बजे तक)।
- 3 अग्रधन की राशि रु0 10,000=00 (दस हजार) मात्र जो बैंक ड्राफ्ट या चेक या ऑन लाइन ट्रांसफर A/C no. 37113129082, SBIN0000037, A/C Name- Account Officer, Transmission circle, Bhagalpur के रूप में लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, भागलपुर के नाम से भुगतये होगा। निलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सफल अभिकर्ता को छोड़कर बांकी अभिकर्ताओं का जमा राशि सफल अभिकर्ता द्वारा निलामी की पूर्ण राशि जमा करने के 15 दिनों के उपरांत लौटा दिया जायेगा। सफल अभिकर्ता के अग्रधन की राशि का समायोजन उनके सुरक्षा जमा राशि में किया जा सकता है।
- 4 लिफाफा बन्द डाक हेतु निलामी की तिथि-20.02.2024 को (अपराह्न 03:30 बजे) निर्धारित है।
- 5 सफल अभिकर्ता को निलामी की राशि डाक की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निलामी पर उनकी हक समाप्त करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
- 6 निलामी में वर्णित वित्तीय शर्तों को सफल अभिकर्ता द्वारा पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय क्रमानुसार अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाएगा।
- 7 अग्रधन/जमानत राशि को बैंक ड्राफ्ट, चेक अथवा ऑन लाईन ट्रांसफर के माध्यम से दि0:-20.02.2024 को अपराह्न 02:30 बजे तक ही संचरण अंचल, भागलपुर (सबौर) के कार्यालय में भेजा जा सकता है, दिनांक -20.02.2024 को अपराह्न 02:30 बजे के बाद अग्रधन/जमानत राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(P.T.O)

--(2)--

- 8 सफल अभिकर्ता को रू0 25,000 = 00 (पचीस हजार) मात्र सुरक्षा राशि के रूप में एक सप्ताह के अन्दर रोकड़पाल संचरण अंचल भागलपुर के पास बैंक ड्राफ्ट या चेक या ऑन लाइन माध्यम से जमा करना होगा, जो आम फलों को समाप्ति तिथि एवं किसी भी कर्मचारी अथवा पदाधिकारी से अभद्र व्यवहार नहीं करने तथा किसी भी प्रकार की क्षति नहीं करने पर वापस किया जा सकेगा, निलामी प्राप्त कर्ता को फलों का संग्रहण अधिकार मात्र दिनांक— 31.08.2024 तक ही मान्य समझा जायेगा साथ ही फल तोड़ाई से एक दिन पूर्व सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, सबौर / विद्युत कार्यपालक अभियंता (तकनीकी) संचरण अंचल, भागलपुर को सूचित करना होगा।
- 9 कॉलोनी परिसर में सफल अभिकर्ता द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति की क्षति होने पर उसकी जिम्मेवारी अभिकर्ता पर ही होगी, किसी भी अपराधिक तत्वों का कॉलोनी परिसर में प्रवेश निषेध होगा।
- 10 निलामी संबंधित अन्य नियम शर्तों की सारी जानकारी किसी भी कार्य दिवस को संचरण अंचल, भागलपुर कार्यालय से ली जा सकती है।
- 11 सफल अभिकर्ता एवं उनके सभी कर्मचारी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, सबौर से सत्यापित पहचान पत्र के साथ ही परिसर में प्रवेश पा सकेंगे।
- 12 आदेश निर्गत होने के उपरांत सफल अभिकर्ता को 24 घंटे न्यूनतम 2 सुरक्षा प्रहरी दिनांक 31.08.24 तक परिसर में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त करना अनिवार्य होगा।
- 13 सफल अभिकर्ता को कुल डाक राशि का 10 प्रतिशत राशि 03 (तीन) दिनों के अंदर एवं शेष राशि 07 (सात) दिनों के अंदर जमा करना होगा।
- 14 निलामी की न्यूनतम राशि रू0 2,25,000 /— (दो लाख पचीस हजार) मात्र निर्धारित है।
- 15 सभी आगंतुक को कार्यालय परिसर में कोरोना रोक-थाम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 16 विवादास्पद स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
- 17 निलामी में भाग लेने वाले अभिकर्तागण को चुनाव आयोग द्वारा निर्गत परिचय पत्र/राशन कार्ड/पैनकार्ड/ ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/मुखिया या किसी राज पत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वहस्ताक्षरित पहचान पत्र की छाया प्रति माँगे जाने पर समर्पित करना होगा।


(संतोष कु0 मिश्र)

विद्युत अधीक्षण अभियंता